

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प3 (क)/अलेसे II लिंक न. 4979 / 350

दिनांक :- 24/07/2019

कार्यालय आदेश

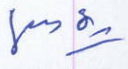
श्री /श्रीमती / सुश्री प्रवीण कुमार जैन [लिंक नं. 4979] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय कार्यालय आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर - [1048] जिनकी जन्म तिथि 11/11/1966 है, ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 01/08/2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 (1) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 01/08/2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

श्री प्रवीण कुमार जैन की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 17/11/2010 है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रवीण कुमार जैन के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।

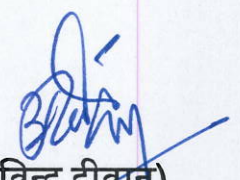

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प3 (क)/अलेसे II लिंक न. 4979 / 350

दिनांक :- 24/07/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
3. आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर
4. कोषाधिकारी जयपुर
5. श्री /श्रीमती / सुश्री प्रवीण कुमार जैन [4979] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय कार्यालय आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट


(अरविन्द दीवान)
(अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II))